प्रेषक,

सुनील कुमार त्रिपाठी,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान पडरौना ।

विषय– प्रार्थी के एक मात्र पुत्र की लाइलाज बीमारी की समुचित चिकित्सीय उपचार हेतु स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संवर्ग 2013 का न्यायिक अधिकारी है तथा वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के एक मात्र पुत्र शिवांश त्रिपाठी उम्र 6 वर्ष जो हीमोफिलिया जैसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है तथा उसका इलाज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ व वर्तमान में आल इण्डिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) नई दिल्ली में चल रहा है।

एम्स के चिकित्सकों द्वारा बताया गया है कि मेरे पुत्र की इस लाइलाज बीमारी की चिकित्सा उपचार हेतु उसे सप्ताह में 2–3 बार Factor replacement therapy की आवश्यकता होगी। उनके द्वारा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि Factor replacement therapy से भी उन्नत उपचार Emicizumab injection दिल्ली एन०सी०आर० में उपलब्ध है। जिसे माह में दो बार हीमोफिलिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। प्रार्थी तहसील/कस्बा कसया, जनपद कुशीनगर में अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ निवास करता है। जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है तथा आस–पास के जिलों में भी उक्त बीमारी के उपचार का सर्वथा अभाव है।

प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त असाध्य बीमारी तथा उसके कारण उसे बार–बार होने वाले कष्ट के कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी अत्यधिक मानसिक कष्ट में हैं तथा उसके चिकित्सीय उपचार हेतु बार –बार लखनऊ या दिल्ली आने जाने में लगने वाले समय एवं धन के अपव्यय से अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनपद कुशीनगर से जनपद लखनऊ की दूरी लगभग 325 कि०मी० एवं दिल्ली की दूरी 850 कि०मी० से अधिक है। ऐसी स्थिति में जनपद कुशीनगर से प्रति सप्ताह दिल्ली आना–जाना प्रार्थी के लिए सम्भव नही हो पाने के कारण बच्चे को वांछित एवं उचित ईलाज प्राप्त नही हो पा रहा है, जिससे उसके

स्वास्थ्य एवं जीवन पर गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है तथा इलाज के लिए बार–बार आवकाश लेने के कारण न्यायिक कार्य प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है।

माननीय महोदय को सादर यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी जनपद सीतापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद कुशीनगर में अपर सिविल जज (सी०डि०), कुशीनगर स्थान पडरौना के पद पर दिनांक 14–04–2022 को कार्य भार ग्रहण किया था तत्पश्चात प्रार्थी का स्थानान्तरण वाहय न्यायालय कसया, कुशीनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर हो गया जहाँ प्रार्थी ने दिनांक– 28–06–2022 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रार्थी का वाहय न्यायालय कसया, कुशीनगर में लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल आने वाले वार्षिक स्थानान्तरण तक पूर्ण हो जायेगा।

अतः माननीय न्यायालय से करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट को तथा बच्चे को दिये जाने वाले समुचित चिकित्सा उपचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद कुशीनगर से दिल्ली से लगने वाले निकटतम जनपद गाजियाबाद या गौतमबुद्धनगर अथवा मेरठ में करने की कृपा करें, जिससे कि प्रार्थी अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ –साथ अपने न्यायिक कार्य को भी सुचारू रूप से सम्पादित करने में समर्थ हो सके।

सादर !

भवदीय,

(सुनील कुमार त्रिपाठी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।

दिनांकः
संलग्नक–
चिकित्सीय उपचार से सम्बन्धित
एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ
एवं एम्स दिल्ली के हीमेटोलॉजी विभाग
से सम्बन्धित रिपोर्ट की छायाप्रतियाँ।